संख्या– 326 /VI/2008–5(47)2006

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2008

विषयः–लाखामण्डल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–368/2–6–508/2006–07 दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लाखामण्डल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकास हेतु रू0 79.12 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 79.00 लाख (रूपये उन्नासी लाख मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें ।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12–उक्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तदोपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13–कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

14–योजना हेतु भूमि की उपलब्धता के बाद ही धनराशि व्यय की जायेगी।

15-पर्यटन निदेशालय द्वारा शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में इंगित सभी शर्तों का उल्लेख अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय आदेश में भी इंगित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी से कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता के आधार पर पूर्ण किये जाने हेतु वचनबद्धता प्राप्त कर लिया जायेगा।

16-स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण उपयोग कर व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

17-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-01-पर्यटन विकास की नई परियोजनायें-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

18-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०-227/XXVII(2)/2008, दिनांक 12 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-326/VI/2008-5(47)2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
6- वित्त अनुभाग-2,
7- श्री एल०एम०पन्त, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8- अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11- निजी सचिव, मा० पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।